# गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

## विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.11.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.11.2019 को दोपहर 03:30 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो0 अंजिला गुप्ता | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो0 ए.के. सक्सेना | सदस्य |
| 3. | प्रो0 व्ही.डी. रंगारी | सदस्य |
| 4. | प्रो0 जी.के. पात्रा | सदस्य |
| 5. | प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव | सदस्य |
| 6. | प्रो0 मनीषा दुबे | सदस्य |
| 7. | प्रो0 बी.एन. तिवारी | सदस्य |
| 8. | प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा | सदस्य |
| 9. | प्रो0 ए.एस. रणदिव | सदस्य |
| 10. | प्रो0 एल.पी. पटैरिया | सदस्य |
| 11. | प्रो0 एम.के. सिंह | सदस्य |
| 12. | प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक) | सचिव |

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 व्ही.एस. राठौर

02 प्रो0 पी.के. बाजपेयी

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

**विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.09.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.09.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

**विषय क्र. 02 अधिष्ठाताओं की बैठक दिनॉक 24–10–2019 के अनुशंसा/निर्णय पर विचार।**

विचारोपरान्त स्थायी समिति ने निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 24.10.2019 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि बैठक के दौरान चर्चा उपरान्त लिये गये निम्नानुसार निर्णयों को भी शामिल कर लिया जाय :–

01. अधिष्ठाताओं के द्वारा प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क के लिखित परीक्षा के लिए प्रथम खण्ड में 30 अंकों के 10 वस्तुनिष्ट प्रश्न के प्रावधान किये गये है, जिसे 10 वस्तुनिष्ट/ लघुत्तरीय प्रश्न मान्य किया जाय।

02. प्रश्नपत्र का मेनुस्क्रिप्ट विभागाध्यक्षों से दिनांक 15 दिसम्बर, 2019 तक जमा करा लिया जाय।

03. वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला के अधिष्ठाता ने बैठक के दौरान अभिमत प्रस्तुत किया है कि वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा (VET/VRET) का माध्यम अंग्रेजी रखा जाय, जिसे मान्य किया गया।

**विषय क्र. 03 VRET 2019–20 परीक्षा आयोजन हेतु माध्यम पर विचार।**

समिति ने यह निर्णय लिया कि इस विषय पर विषय क्रमांक–2 में चर्चा हो चुकी है अतः विषय क्रमांक–02 के अंतर्गत लिये गये निर्णय को मान्य कर लिया जाय।

**विषय क्र. 04 बिलासपुर विश्वविद्यालय से स्थानांतरित प्रकरणों पर गठित समिति के कार्यवृत्त दिनांक 17.09.2019 पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि स्थानांतरित प्रकरणों पर गठित समिति के कार्यवृत्त दिनांक 17.09.2019 का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि ऐसे विषय जिसके लिये शोध निर्देशक विश्वविद्यालय परिसर के शैक्षणिक विभागों में नहीं है उनके लिए प्रकरण निराकरण हेतु अन्य संस्थानों से भी शोध निर्देशक बनाये जाने के प्रयास कर लिये जाय।

**विषय क्र. 05 अध्ययन मण्डल अर्थशास्त्र विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन की पुष्टि पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल अर्थशास्त्र विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

**विषय क्र. 06 आई.क्यू.ए.सी. प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तावित NAAC SSR Criteria VII प्रारूप के अनुमोदन पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहन चर्चा की एवं कतिपय संशोधन Criteria VII के संयोजक महोदय को सुझाये गये तथा उन्हें नवीन प्रस्ताव प्रारूपित करने को कहा गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सुझावों को समाहित करते हुए प्राप्त प्रस्ताव को मान्य कर लिया जाय तथा स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तावित कोर वैल्यू के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न चिन्हित स्थलों पर पोस्टर लगवाया जाय।

**विषय क्र. 07 अध्ययन मण्डल मानव शास्त्र विभाग द्वारा Centre for Endangered Languages के लिये अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन की पुष्टि पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय तथा पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2020–21 से प्रारम्भ किया जाय।

**विषय क्र. 08** **मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय से विदेशी सरकारों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से हुये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की जानकारी प्रेषित किये जाने बाबत्।**

स्थायी समिति ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर संबंधी सूचना ग्रहण की।

**विषय क्र. 09** **अध्ययन मण्डल शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन की पुष्टि पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

**विषय क्र. 10** **विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में अनुचित साधनों के रोकथाम हेतु भारत सरकार की जॅमर व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत्।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार के जॅमर व्यवस्था संबंधी दिशा–निर्देशों को अंगीकृत किया जाय एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न किया जाय।

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार

**अ.अ.वि.क्र. 01** **बी.फार्मा छात्र पुनीत छाबड़ा के परीक्षा परिणाम के संबंध में।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि उक्त विषय पर फॉर्मेसी विभाग के शिक्षकों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

**अ.अ.वि.क्र. 02** **बी.एड. विशेष शिक्षा श्रवण वाधिता एवं बी.एड. विशेषज्ञ शिक्षा अधिगम अक्षमता के E.W.S. केटेगरी के अंतर्गत बढ़ी सीटों के संबंध में।**

स्थायी समिति ने शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना ग्रहण की एवं निर्णय लिया कि आगामी प्रवेश सूचना में केवल स्वीकृत सीटों का ही विज्ञापन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्व में बढ़ाई गई सीटों के संबंध में स्पष्ट जानकारी एवं प्रस्ताव पुनः आर.सी.आई. एवं एन.सी.टी.ई. को प्रेषित करें।

**अ.अ.वि.क्र. 03** स्थायी समिति द्वारा यह भी सूचना ग्रहण की गई कि विश्वविद्यालय द्वारा 03 नए परिनियम यथा परिनियम 40, 48 एवं 49 का निर्माण किया गया है तथा परिनियम 02 (4) में एवं परिनियम 10 (5) में संशोधन किया गया है, जिसकी अधिसूचना क.सं. 307–309/अकादमी/2019 दिनांक 04 नवम्बर 2019 द्वारा अधिसूचित करते हुए भारत का राजपत्र में सं.393 एवं 394 दिनांक नवम्बर 07, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया है।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

**कुलसचिव (प्रभारी)/सचिव** **कुलपति/अध्यक्ष**